

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192202602835

ग्राम क्रमांक : 115192 ग्राम का नाम (परगना) : सोनकपुर(मुरादाबाद) तहसील : मुरादाबाद जनपद : मुरादाबाद फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00377

श्रेणी : 4-क उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण,अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धों के अधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
638	1) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद / . / .	1) अन्य / पत्रांक 501/अमलदरामद / 10-10-2025 / पुनर्ग्रहण		638(1151920638000042)	0.1720	1) -	1) 0.1720	0.00
							0.1720	

कुल गाटे - 1 कुल क्षेत्रफल - 0.1720 (हेक्टर) कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.1720)(हेक्टर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)	
1) अन्य / पत्रांक 501 /अमलदरामद / 10-10-2025 / पुनर्ग्रहण / RAM SINGH RAWAT / 07-11-2025	1.1) अतिरिक्त घोषित भूमि / --- / --- (शेष क्षेत्रफल : 0.0000)	638(1151920638000042)	1.1) 0.1720	1.1) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद / . / .	638(1151920638000042)	1.1) 0.1720	

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :



(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) 1410फ आदेशानुसार सक्षमप्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.150/न.भू.सी.2003दि.1.6.03 के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र सं.93दि.19.5.03के अन्तर्गत इस कार्यालय की पत्र सं.93दि.19.5.2003 के द्वारा वाद सं.315/1201सरकार बनाम पूरन में अतिरिक्त घोषित भूमि गाटा सं.263/2043,20वर्ग
- 2) मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर संबंधित भू धारक पूरन अथवा उसके वैध वारिसानो का नाम उक्त भूमि पर दर्ज हो ह.ले.8.7.03
- 3) 1410फ आदेशानुसार रा0 नि0 पाकबड़ा द्वारा प.क.11 क दि.21-7-03 को आदेश हुआ कि खाता सं. 370 से मृतक पूरन के स्थान पर नन्हे पुत्र पूरन नि ग्राम के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह.ले.21-7-03
- 4) 1410फ आदेशानुसार विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक सं.1183/आठ वि.भू.अ.अ/मुरादाबाद दि.16.3.2002के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर में गाटा सं. 263पर अमलदरामद में हुई गूटि का परीक्षण कराकर संशोधन कि या गया के अनुसार गाटा सं.263मि/1.25 एकड़ के स्थान पर 0.94एकड़ भूमि मुरादाबाद विकास
- 5) प्राधिकरण के नाम तथा इसी न.से 1.02 एकड़ भूमि नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के आदेशानुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो ह.ले.25-10-02
- 6) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.617/31-12-02 को आदेश हुआ कि खाता सं. 240,295,370, के गाटा सं0 263मि/2.27एकड़ में से 0.32 एकड़ लगान 45.00 रु के बकदर भाग से रामराज सिंह विश्रोई पुत्र रामसरन विश्रोई नि.वी.एस.-11 दीनदयालनगर एम.डी.कालोनी मुरादाबाद वैधसियत मुख्तयारेआम
- 7) श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास नि.झांझनपुर के नाम खारिज होकर श्रीमती मनीषा विश्रोई पत्नी रामराज सिंह विश्रोई वि.एस.-41 दीनदयाल नगर एम.डी.ए शहर मुरादाबाद व गजराजसिंह पुत्र रामसरनसिंह नि. विकास नगर लाईनपार शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह ले
- 8) ह.ले.31-1-03
- 9) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.491/22.12.02आदेश हुआ कि खाता सं.240,295,370के गाटा सं.263/0.26एकड़ व गाटा सं.336मि/0.24-1/2 एकड़ लगान क्र मश: 2.60व 2.45के पूर्ण भाग से रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास व हरप्रसाद व मोहन सिंह व राजकु मार पुत्रगण नरायनदास
- 10) नि.झांझनपुर के नाम खारिज होकर अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.गौ.कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह.ले. 31.1.03
- 11) 1411फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.511/353/03धारा 34एल.आर.एक्ट आदेश दि. 23.1.2004के अन्तर्गत भानुप्रकाश बनाम मु.पुनिया में गाटा सं.263मि रकबई 0.63.मि 2043,20वर्ग मीटर स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद का राज्य सरकार का नाम खारिज करके भानुप्रकाश पुत्र
- 12) स्व0ओमप्रकाश नि.ग्राम दलपतपुर तह0व जिला मुरादाबाद का नाम वजरिये अपंजीकृत वसियतनामा दि.27.10.95के आधार पर दर्ज हो । प.क.11क का इन्द्राज दि.12.12.1994खारिज हो ह.ले.24.1.04
- 13) 1411फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.584/न.भू.सी./03दि. 8.12.2003के अन्तर्गत नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियम अधिनियम 1976के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि गाटा सं.263 श्रीमती पुनिया के नाम है । पूरन ओर पुनिया दोनों की मृत्यु हो चुकी है । ऐसी स्थिति में
- 14) में गाटा सं. 263मि जो पुनिया के नाम था का श्रीमती पुनिया पत्नी पूरन नि.सोनकपुर मुरादाबाद के जो भी वैध वारिसान हो के नाम दर्ज हो ह.ले.24.1.04
- 15) 1411फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.358/23.4.04आदेश हुआ कि खाता सं.370के गाटा सं.336 मि/0.24-1/2एकड़ L.R.2.45के पूर्ण भाग से अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.कोठीवाल नगर मुरादाबाद का नाम खारिज होकर श्रीमती ऊ.षा वर्मा पत्नी धनश्याम वर्मा नि.बाजार कलौ मंडावर बिजनौर
- 16) व श्रीमती कमला श्रीवास्तव पत्नी स्व0राजबहादुर नि. लाईनपार मुरादाबाद का नाम बजरिए बेनामा दि.12.4.2003 के आधार पर दर्ज हो ह.ले.27.4.04
- 17) 1408फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरा.पत्रांक स्. 1.22013/न.भू.सी/2001दि. 2.3.01के अन्तर्गत वाद स्. 1.264/2699सरकार बनाम नरायणदास में धारा 45के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.8.7.94में गाटा स्. 1.336मि/1983.03वर्ग मी.गाटा स्. 1.263मि/2116.20वर्ग मी.
- 18) भूमि पर राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित भू-धारक नरायण दास पुत्र बाबू नि.सोनकपुर या उसके वैध वारिसान का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो ह. ले. 11.5.2001
- 19) 1409फ आदेशानुसार रा.नि.पाकबड़ा द्वारा प.क.11क दि.10.4.2002को आदेश हुआ कि खाता स्. 1.370से मृतक नरायनदास के स्थान पर हरप्रसाद,मोहनसिंह राजकुमार पुत्रगण नरायनदास व श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी स्व.नरायनदास नि.ग्राम के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह. ले. 10.4.2002
- 20) 1414फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं0688/134/1601/06आदेश दिनांक 31.1.07 को आदेश हुआकि खातासं0370गाटासं0303मि रकवा 0.221व गाटासं0239मि 0.117पर अतिरिक्त घोषित भूमि के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के आदेश दिनांक 8-5-06व20-1-07के आधार पर मूलकाशतकार
- 21) ग. गैराम उर्फ गजराज व कु.व. रसेन पुत्र खिमी नि0सोनकपुर का नाम तथा बादहू विक्रय पत्र ग. गैराम आदि बहक अमृतलाल आदि एव0 विक्रय पत्र अमृत लाल आदि बहक कें चन



- नगर के आधार पर ग्राम सोनकपुर स्थित आराजी खातास0370गाटास0303मि 0.221है0 मे से 0.202भाग से गोंगाराम उर्फ गजराम
- 22) व कु वर सेन पुत्र खिम्मी नि0सोनकपुर का नाम खारिज क रके श्रीमती कें चन तलवार पत्नी सी0एल0तलवार नि0102कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप मे दर्ज हो ह0आर0के0दिनांक 31-1-07
- 23) 1409फ आदेशानुसार नगर भूमि सीमारोपण मुरा0के पत्रांक स् 1.323/न.भू.सी./2001दि.14.5.01स् 108908न.भू.सी./99दि.8-4-99के द्वारा नगर भूमि अधिकतम सीमा एव 1 विनियत अधिनियम 1976की धारा 6(1)के अन्तर्गत भू-धारिका श्रीमती कमला बहू पत्नी साहू चुन्नी लाल नि.सिविल लाईन मुरा0ग्राम सोनकपुर
- 24) स्थित गाटा स् 10355के 12भाग की भूमि सक्षम प्राधिकारी के अधिनियम की धारा 10(2)के अन्तर्गत आदेश दि.12.5.98 को भू-धारक के पक्ष मे छोड दिया है ह.ले.2.7.01
- 25) 1415फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरा0पत्रांक स् 10235/न.भू.सी./07दि.29.11.07 के अन्तर्गत पूर्व मे अमलदरामद की गई भूमि ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा स् 190मि 1423.20वर्ग मीटर व ग्राम मऊ स्थित गाटा स् 1516मि/1144.72वर्ग मी.कु ल 2567.92वर्ग मीटर पर राज्य सरकार के स्थान पर श्री वलवीर
- 26) सरन भटनागर पुत्र स्व.रामचन्द्र नि.हरथला मुरादाबाद के पक्ष मे दर्ज हो ताथा उपरोक्त के अतिरिक्त श्री रूपकि शोर भटनागरपुत्र रामचन्द्र नि.हरथला मुरादाबाद की सीलिंग वादस् 1.1448 5011मे सक्षम प्राधिकारी के आदेशदिनांक 29.10.80 के द्वारा अतिरिक्त घोषित भूमि ग्राम मऊ स्थित गाटा स् 1.
- 27) 516रकवा1144.72व0मी0ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा स् 1.90मि रकवा 1423.20व0मी0कु ल 2567.92व0मी0भूमि पर तहसीलदारमुरादाबाद द्वारा दिनांक 15.1.90को राज्य सरकारमे पक्ष मे कब्जा लिया गया अतः उक्त भूमि राज्यसरकार के पक्ष मे दर्ज हो ह0आर0के 010.3.08
- 28) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.23.10.08के अनुपालन मे आदेश न्यायालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद वाद सं.305 944धारा 45नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976 आदेश दि.10.4.92के अन्तर्गत सरकार
- 29) वनाम जेट्ट मे गाटा स.866व844जो नगर पालिका की सीमा से एक किलोमीटर के वाहर स्थित है की क्रमश.4856-40व0मी0व647.52व0मी0अर्थात कुल 5503.92व0मी0भूमि उसकी कुल 8393.52 व0मी0मे से कम की जाती है जिसे कम करने पर उसके पास कुल भवन सहित 2889.60व0मी0भूमि होती है
- 30) अतः भूधारक की 889.60व0मी0भूमि अतिरिक्त घोषित की जाती है जो गाटा स.650से अभ्यर्पित की जायेगी तदानुसार आदेश दि.8.8.77संशोधित समझा जाय 1 ह0आर0के0दि3.11.08
- 31) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारीनगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद के पत्रांक 158/न0 भू0सी0/08दि.30.7.08के अनुपालन मे पत्रांक114/न0भू0सी0/03दि.28.5.03के अन्तर्गतसीलिंग वाद स् 1.1532 5019मे दायर अपीलमे माननीय अपर जिलाजज षष्ठम मुरादाबाद के
- 32) आदेश दि 29.5.95के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त किया गया तथा वाद रिमाण्डकिया गया जिसके विरुद्ध माननीय उच्चन्यायालयइलाहवाद मे दायर रिट याचिका सं 1.6729 97माननीय न्यायालय के आदेश दि 15.3.97के द्वारा खारिज की गई तत्पश्चात निरसन अधिनियम
- 33) 1999प्रभावी हो जान के कारण स् 10क्षम प्राधिकारी के आदेश दि.4.3.2003के द्वारा उक्त वाद निरसितकिया गया तथा वाद पत्रावली निक्षेप की गई तदानुसार वाद मे कब्जा ली गई निम्न लिखित भूमि पर भूधारक के पक्ष मे कब्जा छोडने तथाराजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के स्थान
- 34) पर भूधारक श्री वालकिशोर भटनागर पुत्र स्व0श्री रामचन्द्र नि0हरथला के नाम दर्ज होग्राम का नाम/गाटा स् 1.1/क्षेत्रफल वर्ग0मी0मेक्रम स् 1.1-ग्राम मऊ गाटा स् 1.516मि रकवा 1144.72वर्ग0मी0व 2-ग्राम सोनकपुर गाटा स् 1.90मि रकवा 1443.83वर्ग0मी0कुल 2किता रकवा 2588.55वर्ग
- 35) मी0 ह0आर0के07.3.09
- 36) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद . वाद सं.1856/28.5.09को आदेश हुआ कि ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद के खाता सं.385 के खसरा न.866 रकबा 0.486हे0लगानी बमुजिव . खतोनी के पूर्ण भाग मे से 0.80एकड़ पर से विक्रेता . चन्द्रसेन पुत्र स्व0जेठू निवासी मिलक भोला सिंह तह0
- 37) व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज होकर क्रेता शेर सिंह पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफी तह0 अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम सहखातेदार के साथ .स0भू0के रूप मे द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 4.7.92के आधार पर दर्ज कागजात हो तत्पश्चात मृतक शेर सिंह .पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफी तह0.
- 38) अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम खारिज होकर उसके स्थान पर श्रीमती कान्ति देवी पत्नी राममनोहरलाल .निवासी हाल खुशहालपुर तह0व जिला मुरादाबाद का नाम द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 2.1.95सं0भू0 के रूप मे राजस्व अभिलेखों मे अंकित हो ह0आर.के.. 5.6.09
- 39) 1417फ.आदेशानुसार श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद विविध निगरानी सं.शून्य /2007-08धारा 219एल0आर0एक्ट आदेश दिनांक 29.7.2008के अन्तर्गत उमा शंकर शर्मा आदि वनाम भानुप्रकाश आदि मे खाता सं.195पर प्रतिपक्षी गण दिनांक 1.9.2008के लिए नोटिस जारी
- 40) किये जाय 1 अवर न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली अपील सं.7/89/07एवं अपील सं.26/123उमा शंकर शर्मा वनाम भानुप्रकाश आदि तथा तनवीर अहमद आदि वनाम भानुप्रकाश आदि एवं विचारण न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली वाद सं.353/03भानुप्रकाश वनाम मु.पुनिया तथा वाद सं.97भानुप्रकाश वनाम श्रीमती
- 41) पुनिया तलव की जाय 1 तव तक प्रतिपक्षी सं.1भानुप्रकाश पुत्र ओमप्रकाश नि.दलपतपुर तह0व जिला मुरादाबाद को वाद ग्रस्त आराजी का किसी प्रकार अन्तरण/विक्रय करने से निषेध किया जाता है 1 ह0आर0के0दि25.7.09

- 42) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरा0 के आदेश दि.22.9.09के अनुपालन मे आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगरभूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 278/न0भू0सी0/08दिनांक 3.10.08के अन्तगत शासन देश सं 513 उन्चारा-152(47)यू0सी0/83दिनांक 6.9.86के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त करते
- 43) हुये नये सिरे मे भूमि सीमा के निर्धारण की कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रत्यावतित की गई /तप्पश्खा सक्षम प्राधि कारी के आदेश दि.24.12.87द्वारा ग्राम सोनकपुर स्थित स्थित गाटासं 879से 894/387व0मी0गाटा सं 1873से 1654.44व0मी0कु ल 9598.31व0मी0भूमि अतिरिक्त भूमि घोषित की गई । सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.17.2.01के
- 44) द्वारा निरसन अधिनियम 1999के अनुसार वाद पत्रांक पत्रावली निक्षेप की गई तथा इस कार्यालय के पत्रांक 217 वी दिनांक 2.3.01केद्वारा ग्राम सोनकपुर गाटा सं 1879/8943.87व0मी0गाटा सं 873/654.44व0मी0कु ल 9598.31व0मी0भूमि से राज्य सरकार के स्थान पर भूधारक श्री वफातीका नाम अंकित करने हेतु लिखा गया
- 45) जबकि उक्त वाद मे गाटा सं 1879/8947.87 व0मी0व गाटा सं.873रकबा 1059.14व0मी0का कब्जा दिनांक 22.3.79को तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा लिया गया । अतः इस कार्यालय द्वारा पूर्व मे जारी पत्रांक 217वी0दिनांक 2.3.01के प्रस्तर-3 मे अंकित ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं 1873/654.44व0मी0के
- 46) स्थान पर 1059.14व0मी0सही पढा जाये । ह0आर0के 023.9.09
- 47) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 100/न0भू0सी0/010 दिनांक 30.4.10के अन्तगत वाद सं.2759/101सरकार वनाम हिन्द निहोन प्रोटीन प्रा0लि0मे धारा 10(5)के उपरान्त धारा 10(5)की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के अन्तगत सक्षम
- 48) प्राधिकारी के आदेश दि.20.2.08के द्वारा वाद पत्रावली यथा स्थिति निक्षेप की गई है अतःगाटा सं.538/1133.16 व0मी0गाटा सं.541/654.45व0मी0भूमि पर हिन्द निहोन प्रोटीन प्रा0लि0मुरादाबाद का नाम दर्ज हो ह0आर0के0दिस.5.10
- 49) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरा0 वाद सं 1455/28.5.10को आदेश हुआ कि खाता सं 1385 के गाटा सं 1866/0.486 हे.लगान वमुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्र ता चन्द्र सेन पुत्र स्व0जेठ नि0 ग्राम भोला सिंह की मिलक सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्रे ता
- 50) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये वैनामा दर्ज हो ह0आर0के016.6.10
- 51) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरा0वाद सं 1117/28.5.10को आदेश हुआ कि खाता सं 1385 के गाटा सं 1866/0.486 हे.लगान वमुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्र ता श्रीमती कान्ती देवी पत्नी राम मनोहर लाल नि0ग्राम खुशहालपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्रे ता
- 52) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये वैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 27.7.10
- 53) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वादसं 177/10धारा 14.3ज0वि0अधि0आदेश दि.18.6.10के अन्तगत मे हिन्द निहोन प्रोटीन्स वनाम सरकार मे तहसील आख्या सस्तुति के आधार पर खाता सं 130गाटा सं 1566/0.028 का 1/2भाग एंव खाता सं 1385 के गाटा सं 1538मि/0.113
- 54) 541 0.065हे.को अक्र धिक घोषित कि या जाता है तथा लगान समाप्त कि या जाता है ह0आर0के 018.8.10
- 55) 1420फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद, वाद सं.31/820/454/2011-12धारा34 LR ACT ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद खाता सं.371 गाटा सं.263 2043.20 वर्ग मी0 भानूप्रकाश वनाम मू0पुनिया मे दिनांक 19.9.12 के अन्तर्गत प्रश्नगत वाद मे वसीयत अपंजीकृत होने के फलस्वरूप धारा 169
- 56) मे हुए संशोधन के अनुसार मान्य नहीं है तथा खसरा सं. 263 मे मौके पर आबादी / गैर कृषि भूमि होने के कारण इस भूमि पर उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0के प्रावधान लागू नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विधि लागू है. विरासत का वाद सुनने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है, उक्त विवेचना के
- 57) आधार पर नामान्तरण प्रसूचना निरस्त की जाती है. ह0आर.के...1.4.2013
- 58) 1422फ आदेशानुसार श्रीमान नगर भूमि सीमा रोपण - सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 730/न0भू0सी0/ रिट0/2014 दिनांक 18नवम्बर 2014 के क्र म मे . मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या 35789/ 2011ख खमानी वनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0) मे पारित आदेश दिनांक 07.07.2014 व दिनांक
- 59) 31.10.2014 के अनुपालन मे ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की गाटा सं.669 रकबा 2549.61वर्ग मी0 भूमि पर जो अतिरिक्त सीलिंग भूमि के खाते मे अंकित है, जिसे निरस्त कर भूधारक खमानी पुत्र तुलाराम का नाम इस शर्त के साथ अंकित कि या जाये, शासनादेश संख्या 319जी0कदिनांक
- 60) 14.01.1980 मे धारा 20 के अन्तर्गत उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों का रिमार्क कॉलम मे अंकन कि या जाये कि 1- भूमि का उपयोग केवल कृषि के लिये कि या जायेगा, 2- भूमि प्लाटिंग कर विक्रय अन्तरण नहीं कि या जायेगा, परन्तु कृषक प्रयोजन हेतु विक्रय अन्तरण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से
- 61) कि या जायेगा, 3- कृषक प्रयोजन हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये बन्धक अन्तरण अधिनियम की धारा -19(एक) (तीन) में उल्लिखित कि सी बैंक, वित्तीय संस्था अथवा केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा स्थापित विनिर्दिष्ट कि सी वित्त निगम या वित्तीय संस्थान के पक्ष मे कि या जा सके गा, ह0आर.के...2.12.2014
- 62) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक, मुरादाबाद द्वारा वादसं012151354014307 आदेश दि.24.8.15 को आदेश हुआ कि खातासं.371 के गाटासं.263/1 रकबा 0.2020हे. अर्थात 2020.00 वर्ग मीटर लगान वमुजिव खतौनी पर अंकित मृतका श्रीमती पूनिया पत्नी पूरन के स्थान पर भानूप्रकाश पुत्र
- 63) स्व0ओमप्रकाश नि0 ग्राम दलपतपुर का नाम बतौर वारिस सं0भू0के रूप मे अंकित हो । राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित प0क011 ख आदेश दि.12.2.1994 निरस्त कि या जाता है । ह0आर.के

- 64) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद द्वारा वादसं0120151354014413 धारा 210एल0आर0एक्ट आदेश दि.28.08.2015 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र आदि बनाम भानुपताप शर्मा मे खतौनी वर्ष 1420-25 के खातासं.371के खसरानं. 263/1 रकवई 0.2020हे. अर्थात 2020.00वर्ग
- 65) मीटर लगान बमुजिव स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद अवर न्यायालय का आदेश दि. 24.08.2015 अग्रिम आदेशो तक स्थगित किया जाता है । ह0आर.के 07.9.15
- 66) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर,मुरादाबाद द्वारा वादसं0120141354015842 आदेश दि.15.09.15 को आदेश हुआ कि खातासं.371के खसरानं.873मि रकवा 0.040हे. लगान बमुजिव खतौनी के बकदर भाग मे से 0.0100हे. पर से विक्रेता वफाती पुत्र इतवारी नि0 ग्राम मिलक भोला सिंह
- 67) सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता श्रीमती श्रुति श्रीवास्तव पत्नी शैलेन्द्र सक्सेना निवासी डी-73, आवर्तिका कालौनी, शहर व तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप मे बजरिये बेनामा दि.20.02.14 के आधार पर सं0भू0के रूप मे दर्ज हो । ह0आर.के 0
- 68) 30.09.15
- 69) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद के आदेश दि.08.06.16के अनुपालन मे ग्राम सोनकपुर की खातासं.371 पर त्रुटिवश न्यायालय तहसीलदार सदर, मुरादाबाद वादसं. T20141354015892 आदेश दि.15.09.15 दर्ज हो गया है । की त्रुटि की शुद्धि करते हुए उक्त
- 70) आदेश खाता संख्या 252 पर अंकित किया जाता है । ह0आर.के 08.6.16
- 71) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद, पत्रांक 2060/न0भू0सी0/ 2016 दिनांक 30.05.16 के अन्तर्गत महबूब पुत्र श्री फै जबख्श निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं. 316/1589 मे धारा 45 के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के
- 72) आदेश दिनांक 28.02.1992के द्वारा ग्राम सोनकपुर के गाटा सं.620 से 4168.41वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296 से 8255.88 वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गयी है, जिसके सम्बन्ध मे धारा-10(5) का नोटिस दिनांक 09.11.1993 को जारी कि या गया
- 73) तथा राजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के पक्ष मे, अमलदरामद कि या गया, लेकिन प्रश्नगत वाद मे धारा -10 (5)के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के परिपेक्ष्य मे पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28.5.16 के द्वारा उक्त
- 74) वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है, ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं.620 से 4168.41वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्गमीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296से 8255.88वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक
- 75) श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित करें, ह0आर.के ...17.6.2016
- 76) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2060/न0भू0सी0/2016 दिनांक 30-05-16 के अन्तर्गत श्री महबूब पुत्र फैजवख्श निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं 315/1589 मे धारा 45के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-02-1992 के द्वारा ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा संख्या 296 से 8255-88वर्ग मीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गई है। जिसके सम्बन्ध मे धारा 10(5)का नोटिस दिनांक 09-11-93 को जारी किया गया तथा राजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के पक्ष मे अमलदरामद किया गया लेकिन प्रश्नगत वाद मे धारा 10(5) के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के परिपेक्ष्य मे पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-16 के द्वारा उक्त वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है। ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर की गाटा संख्या 296 से 8255-88 वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित हों ह0आरके23-07-16
- 77) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के पत्रांक 2190/न0भू0सी0/अमलदरामद/2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन मे वाद सं0 436/5216 सरकार बनाम छोटेलाल में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर भूधारक छोटेलाल अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम दर्ज हों ह0आर0के0 30/07/16
- 78) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न0भू0सी0/अमलदरामद/ 2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन मे वाद सं0 1310/5214 सरकार बनाम बालकिशन में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर बालकिशन अथवा उसके वैध वारिसानां के नाम अंकित हों, ह0आर0के0 30/07/16
- 79) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 12.8.16के अनुपालन मे कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद पत्रांक सं0 2219/न0भू0सी0/2016 दिनांक 12अगस्त 2016के अन्तर्गत अख्तर आदि के द्वारा इस कार्यालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0798मि0 की उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1420फ से 1425फ प्रस्तुत की है जिसमे 0.3080हे0अर्थात 3080वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त घोषित दर्ज है सीलिंग वाद सं0 200/600सरकार बनाम अख्तर सीलिंग वाद सं0 173/599 सरकार बनाम मटरू एवं सीलिंग वाद सं0 190/602सरकार बनाम मुख्खार मे जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश 4.8.16के द्वारा भूधारक अख्तर आदि की ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0 798 की 4564.25व0मी0भूमि सीलिंग से मुक्त है अतः ग्राम सोनकपुर के

सं० 798 की 3080 वर्ग मी० भूमि जिरापर अतिरिक्त घोषित दर्ज हो 1 के स्थान पर श्री अख्तर, मटरू एवं श्री मुख्तार अथवा उनके वैध वारिसों के नाम दर्ज हो । ह०आर०के०दि 12.8.16

810) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद कम्यूटर वाद सं० टी 20151354014413 धारा 210 एल०आर०एक्ट ग्राम सोनकपुर गिरीश चन्द्र बनाम भानु प्रकाश शर्मा में आदेश दि० 28-9-16 के अन्तर्गत वादीगण की अपील की कार्यवाही निरस्त की गई है तथा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 28.8.2015 को भी निरस्त किया गया है खतौनी वर्ष 1420फ से 1425फ के खाता सं० 371 के खसरा नं० 263/1 रकबई 0.2020 हे० अर्थात् 2020.00 वर्ग मीटर लगान वगूजीब दर्ज हो ह०आर०के०दि 03.10.16

811) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 31-01-17 के अनुपालन में आदेश श्रीमान अपर आयुक्त प्रशासन मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या टी 2016130092 धारा 219 एल०आर०एक्ट आदेश दिनांक 19-01-17 के अन्तर्गत गिरीश चन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर order of lower court shall remain stayed. है आरके००8-03-17

820) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक संख्या 2476/न०भू०सी०/2017 दिनांक 01-03-2017 के अन्तर्गत सीलिंग वाद संख्या 316-1589 सरकार बनाम श्री महबूब आदेश दिनांक 28-05-2016 मा०उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल रिट याचिका संख्या 854/2012 श्री महेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र०सरकार में ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 रकबई 4168-21 व गाटा संख्या 547 रकबई 629-17 पर सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-2016 के अनुपालन में उक्त भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर महबूब अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम दर्ज हो ह०आरके००8-03-17

830) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 21-03-17 के अनुपालन में जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश दिनांक 15-03-17 द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 17-08-16 व 04-08-16 अपास्त किये गये हैं तथा पूर्व जारी कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2190/न०भू०सी०/अमलदरामद 2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का छोटेलाल अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने तथा कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न०भू०सी०/अमलदरामद 2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का बालकिशन अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम एवं कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 2219/न०भू०सी०/2016 दिनांक 12-10-16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 798 की 3080 वर्ग मीटर जिस पर अतिरिक्त घोषित दर्ज हो के स्थान पर भूधारक श्री अख्तर, मटरू एवं श्री मुख्तार अथवा उनके वैध वारिसानों के नाम राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये गये हैं दिनांक 12-08-16 को वापस ले लिया गया है तदनुसार उक्त पत्रों के आधार पर भूधारकों के पक्ष में किये गये अमलदरामद के स्थान पर राज्य सरकार का नाम अंकित किया जाता है ह०आरके०२4-3-17

840) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 02-02-18 के अनुपालन में - आदेशानुसार न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद सं टी 201813540100557 धारा 144 राजस्व संहिता 2006 आदेश दिनांक 30-01-2018 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम भानु प्रकाश शर्मा आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर वाद के निस्तारण तक मौक पर यथा स्थिति बनाये रखे ह०आरके०१9-02-18

850) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान एस०बी०तिवारी, अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या-सी० 2017130092 धारा 219 एल०आर०एक्ट आदेश दिनांक 27-07-2017 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता सं० 371 के गाटा सं० 263/1 रकबा 0.202 हे० अर्थात् 2020.00 वर्ग मी० पर परीक्षण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 24-08-15 एवं अपीलीय न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 28-09-2016 में किसी हस्तक्षेप का औचित्य न पाते हुए निगरानीकर्ता की निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है, इस न्यायालय का स्थगन आदेश यदि कोई हो, भी निरस्त किया जाता है ह०आर०के० ह०आर०के० 19/05/2018

860) 1428फ आदेशानुसार श्रीमान कार्यालय रा०नि० दुष्यन्त कुमार क्षेत्र हरथला आवेदन संख्या 20201313500719001441 राजस्व संहिता की धारा 33(2) के अन्तर्गत उत्तराधिकार आदेश दिनांक 19-11-2020 को आदेश हुआ कि खाता सं० 377 पर मृतक खमानी पुत्र तुलाराम के स्थान पर हरपाल सिंह, ज्ञानपाल सिंह पुत्रगण खमानी सिंह नि०भोगपुर मिठौनी के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह०आर०के०दि 28-12-2020

Data Digitally Signed by: RAM SINGH RAWAT (REGISTRAR KANOONGO)
दिनांक समय स्थान: 12-07-2026 11:08:38 तहसील: मुरादाबाद

यह दस्तावेज़ अकॉनी इ-संकेतन (E-Signature) के माध्यम से बनाया गया है और इसे डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया गया है।

मुद्रित कर्ता: TUSHAR BHAVNAGAR तहसील: मुरादाबाद
मुद्रित दिनांक एवं समय: 12-02-2026 11:08:38
Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्घरण खतौनी का वेरीफिकेशन
<https://apbhal.kh.gov.in/Website> पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192202602836

ग्राम क्रमांक : 115192 ग्राम का नाम (परगना) : सोनकपुर (मुरादाबाद) तहसील : मुरादाबाद जनपद : मुरादाबाद फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00176

श्रेणी : 1-क भूमि जो संकमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खसरा गाटा संख्या	खातेदार का विवरण	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
	(2) नाम पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
638मि	1) उमाकान्त वीर सिंह निवासी ग्राम झाड़ानपुर तहसील व जिला मुरादाबाद 2) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	1) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) / T2016135415014674 / 10-01-2017 / दुरस्ती (संशोधन से)	1417फ	638मि. (1151920638200112)	0.2690	1) - 2) 1/1	1) 0.1345 2) 0.1345	10.19
							0.2690	

कुल गाटे : 1 कुल क्षेत्रफल - 0.2690 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 10.19 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.2690) (हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
1) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) / T2016135415014674 / 10-01-2017 / दुरस्ती (संशोधन से) / RAM SINGH PAWAT / 21-01-2025	1.1) मुरादाबाद / विकास / प्राधिकरण (शेष क्षेत्रफल : 0.1345)	638मि. (1151920638200112)	1.1) 0.1345	1.1) उमाकान्त वीर सिंह / निवासी ग्राम झाड़ानपुर तहसील व जिला मुरादाबाद	638मि. (1151920638200112)	1.1) 0.1345

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :



(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) (2)1409फ आदेशानुसार अपर उपजिलाधिकारी मुरादाबाद वाद सं.89/119,11/16/23,97धारा 229वी.ज.वि. अधिनियम आदेश दि.15.1.2002अन्तर्गत हवीवुल्ला आदि इशरार हुसैन आदि मे वादीगण हवीवुल्ला,हमीदुल्ला, अब्दुल हमीद, भूरे साविर हुसेन पुत्रगण मटरू, मुनीर पुत्र शुबराती, गुलाम हुसेन,साहदत हुसेन,रियासत
- 2) हुसेन पुत्रगण सुजाती, फकीर मोहम्मद, अली मोहम्मद पुत्रगण नवाजी व श्रीमती मुन्नी बेगम वेवा नूरमोहम्मद, अनवार पुत्र छुटटन नि.गण सोनकपुर तह0व जिला मुरादाबाद के शाबिक गाटा सं.661रकबा0.31एकड़ नया गाटा सं.83व रकबा 0.31एकड़ का संक्र मणीय भूमिधर घोषित कि या जाता हे ह.ले.22.3.02
- 3) (3)1410फ आदेशानुसार विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक सं.1183/आठ वि.भू.अ.अ./मुरादाबाद दि.16.3.2002के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर मे गाटा सं.263 पर अमलदरामद मे हुई बूटि का परिक्षण कराकर संशोधन कि या गया के अनुसार गाटा सं.263मि से 1.25एकड़ के स्थान पर 0.94एकड़ भूमि मुरादाबाद विकास
- 4) प्राधिकरण के नाम तथा उसी नम्बर से 1.02एकड़ भूमि नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद के आदेशानुसार राजस्व अभिलेखो मे दर्ज हो ह.ले.25.10.02
- 5) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं. 647/31.12.2002को आदेश हुआ कि खाता सं.240,295,370के गाटा सं.263मि रकबा 2.27एकड़ मे से 0.32एकड़ लगान 45.00के वाकदर भाग से रामराज सिंह विश्वाई पुत्र रामसरन विश्वाई नि.वी.एस-41 दीनदयाल नगर एम.डी.ए.कालौनी,मुरादाबाद बहैसियत मुख्तारे आम
- 6) श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायन दास नि. झाझनपुर के नाम खारिज होकर श्रीमती मनीषा विश्वाई पत्नी रामराज सिंह विश्वाई नि.वी.एस-41 दीनदयालनगर एम.डी.ए.शहर मुरादाबाद व गजराम सिंह पुत्र रामसरन सिंह नि.विकारा नगर लाईनपार शहर मुरादाबाद का नाम जरिए बैनामा दर्ज हो ह.ले.31.1.03
- 7) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.491/ 22.12.02आदेश हुआ कि खाता सं.240,295,370के गाटा सं.263/0.26एकड़ व गाटा सं.336मि /0.24-1/2 एकड़ लगान क्र मश:2.60व 2.45के पूर्ण भाग से रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास व हरप्रसाद व मोहन सिंह व राजकु मार पुत्रगण नरायनदास नि.
- 8) झाझनपुर के नाम खारिज होकर अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.मौ.कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम जरिए बैनामा दर्ज हो ह.ले.31.1.03
- 9) 1422फ आदेशानुसार श्रीमान विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, मुरादाबाद पत्रांक 618/आठ-वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद /2009 दिनांक 21.08.2014 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित भूमि गाटा संख्या 260 रकबा 0.35एकड़ अर्थात 0.142 हे0 के 1/5 भाग से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का
- 10) नाम खारिज कर श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 यादराम सिंह, श्री हुकम सिंह, श्री भोजराम व श्री नरेश पुत्रगण स्व0 यादराम निवासी ग्राम झांझनपुर पोस्ट सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम दर्ज हो 1 ह0आर.के 025.08.14
- 11) 1422फ आदेशानुसार श्रीमान विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, मुरादाबाद पत्रांक 619/आठ-वि0भू0 व्य0अ0अ0/मुरादाबाद/2009 दिनांक 21.08.2014 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित भूमि गाटासं0 376मि रकबा 0.16 ए. से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का नाम खारिज कर
- 12) श्री प्रदीप कु मार महरोत्रा पुत्र श्री रामनरायन सिंह, निवासी मोहल्ला उहरिया तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम दर्ज हो ह0आर.के 026.08.14
- 13) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरादाबाद द्वारा वाद सं टी 2016135415014674 धारा 34 उ प्र राजस्व संहिता 2006 आदेश दिनांक 10-01-2017 के अन्तर्गत उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण बनाम अरविन्द मे ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद के खाता सं 170 के खसरानं 638मि रकबा 0-269हे लगान 6-70 पर पूर्व मे पारित आदेश दिनांक 28-05-2010 इस सीमा तक निरस्त किया जाता हे कि उमाकान्त पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम झाझनपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम 1/2 भाग पर पूर्व की भांति सिविल न्यायालयय के आदेश दिनांक 17-12-2016 के क्रम मे यथावत दर्ज रहेगा हआरके28-1-17

Data Digitally Signed By: RAM SINGH RAWAT (REGISTRAR KANOONGO)

दिनांक समय स्थान: 12-02-2026 11:08:46 तहसील : मुरादाबाद

यह उत्तरण सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक दिनांक 11/08/2026 द्वारा तैयार की गयी है तथा राज्य डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता: TUSHAR BHAINAGAR तहसील : मुरादाबाद

मुद्रित दिनांक एवं समय: 12-02-2026 11:08:46

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्घरण खतोनी का

वेरिफिकेशन <https://uphalekh.gov.in> Website पर जाकर अथवा QR

Code Scan करके किया जा सकता है।

